REGISTERED No. D. [illegible]

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19, 1974/पौष 29, 1895
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19, 1974/PAUSA 29, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

ORDER

New Delhi, the 19th January 1974

THE NORTH-EASTERN AREAS (REORGANISATION) (ARUNACHAL PRADESH) ADAPTATION OF LAWS (No. 3) ORDER, 1974

G.S.R. 17(E).—WHEREAS by section 79 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the Central Government is empowered, by Order, to make such adaptations and modifications in any law relating to a matter in List II or List III in the Seventh Schedule to the Constitution, as may be necessary or expedient for the purpose of facilitating the application of such law in relation to the Union territory of Arunachal Pradesh;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the said section 79, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. *(1)* This Order may be called the North-Eastern Areas (Reorganisation) (Arunachal Pradesh) Adaptation of Laws (No. 3) Order, 1974.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of January, 1972.

2. (1) In this Order,—

(a) "appointed day" means the 21st day of January, 1972;

(b) "existing law" means any State Act or Provincial Act or any Regulation made under the Government of India Act, 1870, or under the Government of India Act, 1935, and in force immediately before the appointed day in the whole or any part of the territories now comprised in the Union territory of Arunachal Pradesh and includes any rule, order, bye-law, scheme, notification or other instrument made under such Act or Regulation, but does not include any law relating to a matter enumerated in the Union List;

(c) "law" has the same meaning as in clause (g) of section 2 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971.

(2) The General Clauses Act, 1897, applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. As from the appointed day, the Act and the Regulation mentioned in the Schedule to this Order shall, until altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule.

4. (1) Whenever an expression mentioned in column 1 of the Table hereunder printed occurs (otherwise than in a title or preamble or in a citation or description of an enactment) in an existing law, whether such law is mentioned in the Schedule to this Order or not, then, in the application of that law to the Union territory of Arunachal Pradesh, or, as the case may be, to any part thereof, unless that expression is by this Order expressly directed to be otherwise adapted or modified, or unless the context otherwise requires, there shall be substituted therefor the expression set opposite to it in column 2 of the said Table, and there shall also be made in any sentence in which that expression occurs, such consequential amendments as the rules of grammar may require.

TABLE

1	2
Assam State of Assam	Union territory of Arunachal Pradesh
High Court High Court of Assam Assam High Court	Gauhati High Court (the High Court of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura)
Official Gazette	Arunachal Pradesh Gazette
State (except where it occurs in the expression "State Government" or "State of Assam".	Union territory of Arunachal Pradesh

(2) In any existing law, references to—

(i) the State Government of Assam,

(ii) the Government of Assam,

(iii) the Government,

(iv) the Governor of Assam, or

(v) the Governor,

shall, save as otherwise expressly provided in any other Law for the time being in force, be construed as references to the Central Government and, unless otherwise directed by the Central Government, as including references to the Administrator of the Union territory of Arunachal Pradesh appointed by the President under article 239 of the Constitution.

5. The provisions of this Order which adapt or modify any law so as to alter the manner in which, the authority by which, or the law under, or in accordance with, which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, licence, permission, award, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation, duly made or issued, or anything duly done, before the appointed day; and any such notification, order, licence, permission, award, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or thing may be revoked, varied or un-done in like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and under, and in accordance with, the provisions then applicable to such a case.

THE SCHEDULE

THE BENGAL PUBLIC DEMANDS RECOVERY ACT, 1913

(BENGAL ACT 3 OF 1913)

Section 5.—In sub-section (*1*), in the proviso, *for* "Assam", *substitute* "Arunachal Pradesh".

THE ASSAM FOREST REGULATION, 1891

(REGULATION 7 OF 1891)

Section 1.—In sub-section (2), *for* "the whole of the territories administered by the Government of Assam", *substitute* "the whole of the Union territory of Arunachal Pradesh".

[No. F. 19(1)/72-L.I. Vol. IV]

K. K. SUNDARAM, *Secy.*

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधायी विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1974

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (अरुणाचल प्रदेश) विधियों का अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1974

सा०का०नि० 17 (अ).—यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 79 द्वारा, केन्द्रीय सरकार, संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 में के किसी विषय से सम्बन्धित किसी विधि में ऐसे अनुकूलन और उपान्तर करने के लिए, आदेश द्वारा, सशक्त की गई है, जो अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में ऐसी विधि का लागू किया जाना सकर बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों;

अतः अब; उक्त धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश का नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (अरुणाचल प्रदेश) विधियों का अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1974 है।

(2) यह आदेश 21 जनवरी, 1972 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. (1) इस आदेश में,–

(क) "नियत दिन" से 21 जनवरी, 1972 अभिप्रेत है;

(ख) "विद्यमान विधि" से कोई ऐसा राज्य अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, 1870 के अधीन या भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन बनाया गया कोई ऐसा विनियम अभिप्रेत है जो अरुणाचल प्रदेश राज्यक्षेत्र में अब समाविष्ट समस्त राज्यक्षेत्रों में या उनके किसी भाग में नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो और इसके अन्तर्गत ऐसे अधिनियम या विनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम, आदेश, उपविधि, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखित भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित कोई विधि नहीं है;

(ग) "विधि" का वही अर्थ होगा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (छ) में उसका है।

(2) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम और विनियम, जब तक कि वे किसी सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिए जाएं, उस अनुसूची द्वारा निदिष्ट अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से प्रभावी होंगे।

4. (1) जब कभी इसके नीचे मुद्रित सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित पद, (किसी अधिनियमिति के शीर्षक या उद्देशिका या प्रोद्धरण या वर्णन के अन्यथा) किसी विद्यमान विधि में आए,

चाहे ऐसी विधि इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित हो या नहीं, तो यथास्थिति, अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को उस विधि के लागू होने में, जब तक कि वह पद, इस आदेश द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा अनुकूलित या उपान्तरित करने के लिए निर्दिष्ट न किया गया हो, या जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके लिए उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में उसके सामने दिया गया पद प्रतिस्थापित किया जाएगा, और किसी ऐसे वाक्य में जिसमें वह पद आए, ऐसे पारिणामिक संशोधन भी किए जाएंगे, जो व्याकरण के नियमों से अपेक्षित हों ।

सारणी

1	2
असम असम राज्य	अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र
उच्च न्यायालय असम उच्च न्यायालय असम उच्च न्यायालय	गौहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालय)
राजपत्र	अरुणाचल प्रदेश राजपत्र
राज्य (सिवाय वहां के जहां वह "राज्य सरकार" या असम राज्य" पद में आता हो)	अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र

(2) किसी विद्यमान विधि में, –

(i) असम राज्य सरकार,

(ii) असम सरकार,

(iii) सरकार,

(iv) असम का राज्यपाल, या

(v) राज्यपाल,

के प्रति निर्देश से, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिर्देश है और इनके अन्तर्गत, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश भी हैं ।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि को ऐसे अनुकूलित या उपान्तरित करते हों जिससे उस रीति में जिस में, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा, या वह विधि जिसके अधीन या अनुसार, कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, परिवर्तन हो जाए, नियत दिन के पूर्व सम्यक रूप से बनाई गई या जारी की गई किसी अधिसूचना, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, पंचाट, सुपुर्दगी, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम, या सम्यक रूप से की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे ; और कोई ऐसी अधिसूचना, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, पंचाट, सुपुर्दगी, कुर्की, उपविधि, नियम, विनियम या बात उसी रीति में, उसी विस्तार तक और वैसी ही परिस्थितियों में प्रतिसंहृत की जा सकेगी या उसमें फेरफार किया जा सकेगा या उसे समाप्त किया जा सकेगा मानों वह इस आदेश के प्रारम्भ होने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबन्धों के अधीन और के अनुसार बनाई गई थी, जारी की गई थी या की गई थी ।

अनुसूची

बेंगाल पब्लिक डिमान्डस रिकवरी एक्ट, 1913

(1913 का बेंगाल एक्ट 3)

धारा 5.—उपधारा (1) में, परन्तुक में, "असम" **के स्थान पर** "अरुणाचल प्रदेश" **रखें**।

असम वन विनियम, 1891

(1891 का विनियम 7)

धारा 1.—उपधारा (2) में, "असम सरकार द्वारा प्रशासित समस्त राज्यक्षेत्रों" **के स्थान पर** "समस्त अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र" **रखें**।

[सं० फा० 19 (1)/72-एल० आई० वाल० IV]

के० के० सुन्दरम, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974